



कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली- बहरोड़
निदेशालय प्रसार शिक्षा
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर



ले.कनल (डां.) एस.एस. शेखावत
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Email pc.kvk.gonera@sknau.ac.in
Mobile No. 9408660365

कंमाक : एफ() / लेखा / कृ.म / केटीपी / 2025 / 282-284

दिनांक: 4.12.25

खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र पर कृषि से संबंधित विभिन्न कार्य के लिए सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/ कम्पनी/ सोसायटी जिन्हे सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.sknau.ac.in&sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/- नगद या डी.डी./बी.सी. कार्यालय में जमा करवाकर कार्यालय समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रूपये 20000/- का नकद/डी.डी./बी.सी. दिनांक 17.12.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र कोटपूतली-बहरोड़, जिला कोटपूतली-बहरोड़- बहरोड़ में भौतिक रूप से जमा की जायेगी तथा उसी दिन दोपहर बाद 12.30 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। डी.डी./बी.सी. "Senior Scientist and Head, KVK, Goner, Kotputli" के नाम से देय होगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार "Senior Scientist and Head, KVK, Goner, Kotputli" को होगा।

सुपर्ण सिंह

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका प्रतिनिधि (नोमिनी) नियुक्त करावें।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका प्रतिनिधि (नोमिनी) नियुक्त करावें।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
4. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़।
5. कौशियर, लेखा शाखा, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़।
6. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़/निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. आरक्षित प्रति

सुपर्ण सिंह

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र ,गोनेडा, कोटपूतली-बहरोड़-बहरोड़
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
जिला : जयपुर-303108 (राजस्थान)

कृषि कार्यो हेतु सभी श्रेणी श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र,कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यो के लिए श्रमिकों की आपूर्ति हेतु अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मो से निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि(₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹)	निविदा प्रपत्र शुल्क (₹)	निविदा प्रपत्रप्राप्ति की अंतिम तिथि,समय एवं स्थान	निविदा प्रपत्रखोलने की तिथि, समय एवं स्थान
1.	कृषि से संबंधित विभिन्न कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति	9.00	20000	500	17.12.2025 दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़	17.12.2025 दोपहर बाद 12.30 बजे कार्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़

निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/- नगद कार्यालय में जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। निविदादाता निविदा प्रपत्र व संलग्न बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रूपये 20000/- के नकद/ डी.डी. /बैंकर चैक"Senior Scientist and Head, KVK,Gonera,Kotputli के नाम से देय, दिनांक 17.12.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक कोटपूतली-बहरोड़-303108 के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाई जा सकती है।

Sukun Singh



कृषि विज्ञान केन्द्र कोटपूतली- बहरोड़
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विविद्यालय, जोबनेर)
जिला : जयपुर-303108 (राजस्थान)



तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कार्य की अनुमानित लागत – रूपये 9.00 लाख

बोली प्रतिभूति (Bid Security)-रूपये 20000.00

निविदा प्रपत्र शुल्क :रूपये 500/-

निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 17.12.2025 समय-दोपहर 12.00 बजे तक

निविदा खोलने का समय दिनांक 17.12.2025 समय दोपहर बाद 12.30 बजे

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक आपूर्ति की खुली निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,
2. डाक का पता, दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर व ई-मेल सहित
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर.....
4. किसको संबोधित किया गया –Senior Scientist and Head, KVK, Gonera, Kotputli
5. खुली निविदा सूचना संदर्भ :एफ()/लेखा/कृ.म/केटीपी/2025/ दिनांक.....
6. खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/-नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या क्रमांक दिनांक.....एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रु. 20000/- नकद/या डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या क्रमांकदिनांक..... (Senior Scientist and Head, KVK, Gonera, Kotputliके पक्ष में देय)वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कोटपूतली-बहरोड़ में भौतिक रूप से (Physically) जमा करा दी है।
7. हम वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'र' में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुसांगिक प्रभारों सहित अंकित है।
9. सभी कार्यों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा-कोटपूतली-बहरोड़ की आवश्यकतानुसार श्रमिक आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
10. कृषि एवं अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्तिहेतु प्रपत्र 'र' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
11. खुली निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है, जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध हो। प्रपत्र "द" संलग्न है।
12. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'ब') संलग्न है।
13. खुली निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रपत्र "द" संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Supern Singh



कृषि विज्ञान केन्द्र कोटपूतली- बहरोड़
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
कोटपूतली-बहरोड़-303108 जिला :जयपुर (राज0)



Mob.No. 9408660365

Pc.kvk.gonera@sknau.ac.in

कंमाक :एफ()/लेखा/कृम/केटीपी/2025/

दिनांक:

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'
कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदा

कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से रुपये 500/- नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र को वेबसाइट sknau.ac.in&sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र व बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) रुपये 20000/- के डी.डी./बी.सी. दिनांक 17.12.2025 को दोपहर 12.00बजे तक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़ में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी./बी.सी. "Senior Scientist and Head, KVK,Gonera,Kotputli"के नाम से देय होगी।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. फर्म/कम्पनी द्वारा जो कि सरकारी विभाग/उपक्रम में कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति कार्यानुभव अनिवार्य है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना वांछित है।
2. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, ई-मेल का विवरण देना अनिवार्य है।
3. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
4. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. श्रम विभाग एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें लागू होंगी।

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/-नगद कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रुपये 20000/- को नकद/डी.डी./बी.सी. दिनांक 17.12.2025 को दोपहर 12.00बजे तक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़-बहरोड़ में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी./बी.सी. Senior Scientist and Head, KVK,Gonera,Kotputli के नाम से देय होगा।

C. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्तें

कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति के लिए शर्तें:-

ठेकेदार अथवा ठेकेदार प्रतिनिधि को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

1. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जाता है तो उसके द्वारा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित न्यूनतम दर एवं अन्य के आनुपातिक दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दे।
3. विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा। अन्यथा देरी से भुगतान करने पर

Sekhar Singh

- 500/- रू0 प्रांतादिन के हिसाब से वारिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गानड़ा- काटपूतली में शास्ति (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।
4. कृषि विज्ञान केन्द्र में श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व श्रमिकों के नाम की सूची कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मोहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है।
 5. श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
 6. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ को ठेकेदार से होगा।
 7. कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि कार्य हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में पुरुष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे।
 8. ठेकेदार को यथासंभव एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की केन्द्र पर कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सायं 4.30 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। किसी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9.00 बजे तक ठेकेदार को कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। सूचित नहीं करने पर मांग के अनुरूप ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उस दिन के श्रमिकों को कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्य है या नहीं फिर भी अवश्य लेना होगा।
 9. ठेकेदार कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य की महत्त्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा जो अतिरिक्त राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
 10. श्रमिकों को कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR2012 or RTPPR 2013 में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
 11. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली-बहरोड़ को होगा।
 12. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली-बहरोड़-बहरोड़ न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा।
 13. न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
 14. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो सभी कार्यों के लिए प्राप्त दरों के औसत में न्यूनतम प्राप्त दरों पर निर्णय लिया जायेगा तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
 15. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक कृषि विज्ञान केन्द्र के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।
 16. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि कृषि विज्ञान केन्द्र उसकी अमानत राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य

Subram Singh

सम्पादन न कराने, श्रामिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों का न मानने पर निविदादाता का भावस्थ क लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

17. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता द्वारा यदि कृषि, चौकीदारी एवं अन्य कार्य, आदि कार्यों की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कृषि विज्ञान केन्द्र उन सभी कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा-कोटपूतली-बहरोड़ को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
18. निविदा फार्म में दर्शाये गये कार्यों का विभाजन नहीं किये जाने के उद्देश्य से अलग अलग कार्यों के लिए निविदादाता द्वारा जो दर प्रस्तुत की जावेगी उनके न्यूनतम दर का आकलन उस निविदा के समस्त सम्बन्धित कार्यों हेतु दी गई दर के औसत के आधार पर किया जायेगा।
19. फार्म मैनेजर श्रमिकों से फार्म का कोई भी कार्य करा सकते हैं।
20. राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
21. अन्य शर्तें एवं नियम RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।
22. वांछित सभी दस्तावेज, शुल्क एवं शर्तें इत्यादि स्कैन कर अपलोड कर दिये हैं। भौतिक रूप से केवल तीनों प्रकार के शुल्क जमा करवा दिये हैं।
23. शर्तें/नियम स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर एवं मोहर लगा दी गई है।
24. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
25. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
26. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्रवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं की विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
27. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
28. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
30. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पृष्टि में

Sejvan Singh

- संबंधित चालान को प्रांते प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
31. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
 32. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
 33. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 34. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 35. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने का नोटिस, वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
 36. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 37. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी एवं नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।
 38. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा।
 39. उपापन संस्था संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यदेश की प्रति श्रम विभाग के संबन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
 40. श्रमिक की कृषि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप का काटना, बिजली या कृषि औजार, ट्रैक्टर आदि से दुर्घटना हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी इस केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांक-----
स्थान -----

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड मोहर

Supam Singh

I. निविदा का खोला जाना

निविदा प्रपत्रों को दिनांक 17.12.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़ में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र को दिनांक 17.12.2025 को दोपहर बाद 12.30 बजे निविदा समिति द्वारा एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर "Senior Scientist and Head, KVK, Gonera, Kotputli" के नाम भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सके।

IV. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़ को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बिड् सिक्क्यूरिटी, निविदा शुल्क के अपलोड एवं भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार केन्द्र को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "ब" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रुपये 9.00 लाख प्रतिवर्ष है। संस्थान द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढ़ाई जा सकती है।

VII. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रु. 1000.00/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

VIII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़ के कार्यालय पर प्रस्तुत करने होंगे जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले केन्द्र द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता (सेवा प्रदाता) को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।

Sukumar Singh

IX. भुगतान की जिम्मेदारी

निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर केन्द्र भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यों के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। माह के प्रथम सप्ताह में निविदादाता या उसका प्रतिनिधि केन्द्र पर आकर अपने लगाये हुए श्रमिकों से मिल कर यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते में सही प्राप्त हुआ है और इस का लिखित प्रमाण अधोहस्ताक्षर को देगा।

X. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़ का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

XI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़ को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XII. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

XIII. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 ई-निविदा के लिए ई-निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security) @ कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVI. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

Sujana Singh

(ज) पछले वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग का या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVII. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण –प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विष्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:-(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘य’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

Suman Singh

परन्तु यह आर 1क एसा दषा म, जहा उपापन सस्था वित्तीय बालो का खालन स पूव तकनोको बालो का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्ररूप -

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र - 'य') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस -

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया -

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

Supern Singh

- (2) सुनवाई के लिए नियत ताराख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थात, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Sekhar Singh

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोशप्रद कार्य नहीं करने/ होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Sukun Singh

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..... of

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appealant :
 - (i) Name of the appealant
 - (ii) Official Address, if any
 - (iii) Residential address
2. Name and address of the respondent (s) :
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravaction to the provisions of the Act by which the appealant is aggrieved.
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
6. Ground of appeal

.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....

Place
 Date

.....
 Appellant's Signature

Sekhar Singh

प्रपत्र "र"

कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटपूतली-बहरोड़
वित्तीय निविदा (पृथक लिफाफे में रखें)

मैं/हम निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहे हैं।

क्र.सं.	कृषि कार्य	संस्थान द्वारा अनुमानित दर	सेवाप्रदाता एजेंसी/ फर्म द्वारा दी जाने वाली दरें
1.	फार्म व कार्यालय की रखवाली (जंगली जानवर जैसे नीलगाय, आवारा पशुओं से) (प्रति व्यक्ति दिन/रात)(24 घंटे)	15000/- प्रतिमाह	
2.	प्लास्टिक मल्व लगाना/ड्रिप लाईन बिछाना एवं सब्जी रोपाई	4500/- प्रति है.	
3.	निराई-गुड़ाई सभी फसलों में(2-6दिन की समय सीमा तक) अ.कुदाली से निराई-गुड़ाई	9000/- प्रति है.	
	ब.खुरपी से निराई -गुड़ाई	10000/- प्रति है.	
4.	खरीफ एवं रबी फसलों की ट्रेक्टर द्वारा थ्रेसिंग (ट्रेक्टर, थ्रेसर,श्रमिक ठेकेदार के होगा) कर तुलाई करवाना एवं स्टोर में बोरियों की धांग (थप्पी) लगाना आदि कार्य	8500/- प्रति है.	
5.	मूंग, चवला की फलियाँ तुड़ाई हाथ द्वारा दो बार (प्रयोग एवं बीज उत्पादन में)	7000/- प्रति है.	
6.	खरीफ एवं रबी फसलों की बुवाई (ट्रेक्टर, सीड ड्रिल ,श्रमिक ठेकेदार के होगा)	1600/- प्रति है.	
7.	सिचाई प्रति हैक्टेयर स्पिंकलर द्वारा (दिन-रात) फसल सिचाई - 4 घन्टे/लाईन	1200/- प्रति है.	
8.	रसायनों (कीटनाशी ,खरपतवारनाशी फफून्दनाशी) का फसलों पर छिड़काव/भुरकाव आदि। (छिड़काव के साधन केन्द्र के होंगे।)	600/- प्रति है.	
9.	फार्म ऑफिस व फार्म गोदामों,किसान घर व अन्य कार्यालयों की साफ सफाई	75/- प्रति घंटा	
10.	फसल कटाई, बंधाई, एकत्रित करना एवं खलिहान तक पहुँचाना (अ) गेहूँ,जौ	20000/- प्रति है	
	(ब) बाजरा(चुटाई भी शामिल है)	23500/- प्रति है	
	(स) दलहनी , तिलहनी एवं अन्य रबी फसलें व खरीफ फसले (2- 6 दिन की समय सीमा तक)	17500/- प्रति है	
	(द) मूंगफली फसल जमीन से निकालना इक्कठा करना एवं थ्रेसिंग (ट्रेक्टर, थ्रेसर,श्रमिक ठेकेदार के होगा)	23000/- प्रति है	
11.	फसलों के बीज की ग्रेडींग एवं विनोडिंग, बोरी भरना, गोदाम तक पहुंचाकर तुलाई करवाना एवं स्टोर में बोरियों की धांग (थप्पी) लगाना आदि कार्य (अ) मूंग, ग्वार,मैथी,चना,तारामीरा, बाजरा गेहूँ,जौ, सरसों	150/- प्रति क्वि.	
12.	केन्द्र के फार्म पर स्थित गाय, बकरी, मुर्गी पालन इकाई, अजोला,केचुआ युनिट के साथ अन्य इकाईयों की देखरेख (चारा काटना व डालना, उनके आस पास साफ -सफाई व अन्य कार्य)	11000 प्रतिमाह	
13.	नर्सरी में बीज, पानी देना, ट्रे में पौधे तैयार करना, सफाई निराई गुड़ाई(800 वर्गमीटर तक),थैलिया भरकर बीज/कटिंग लगाना, फूल उत्पादन औषधीय पौधो व सब्जी इकाई की देखभाल करना	8000/-प्रति नर्सरी	
14.	फल बगीचो में सिंचाई, निराई-गुड़ाई, फल तुड़ाई, दवा छिड़कना आदि कार्य का व्यवस्थापन।	9000/-प्रतिमाह	

Supern Singh

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

क्र.म.	कार्य हेतु आवश्यक संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर (रु)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 13 प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रति माह प्रति श्रमिक	कुल राशि 1+2+3+4+5
		1	2	3	4	5	6
1.	अकुशल (राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी दर)	6743	259 / - प्रतिदिन				
2.	अर्द्ध कुशल (राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी दर)	7048	271 / - प्रतिदिन				
3.	कुशल(राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी दर)	9350	283 / - प्रतिदिन				
4.	उच्च कुशल(राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी दर)	8658	333 / - प्रतिदिन				

ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की दर मानव संसाधन की अनुमानित संख्या पर प्रत्येक पर समान रूप से लागू होगी।
यदि GST लागू होगी तो नियमानुसार देय होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Supern Singh

बोली दाता-संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
2.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
3.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
4.	आय कर (पैन नम्बर)				
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Supern Singh